कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाँदा

पत्रांक:मु0अ0/15-पल्हरी/रिटेल /प्रा0अ0/2020 दिनांक: 27 मई 2020

सेवा में,

श्रीमान अपर जिलाधिकारी

बांदा

ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा दृष्टि से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्राम ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के खसरा/गाटा 708 पर प्रस्तावित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट का अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से दिनाक 27-05-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

स्थलीय निरीक्षण की वस्तुस्थिति :-

1. प्रस्तावित स्थल मानचित्र के अनुसार 900 वर्गमी0 है।
2. उक्त स्थल ग्राम पल्हरी बांदा से बबेरू रोड पर स्थित है, जहाँ पर अग्निशमन के वाहन आसानी से आवागमन करते हुए अग्निशमन का कार्य सुगमता पूर्वक कर सकते हैं।
3. परिसर के चारों तरफ 0.25 मी0 थिकनैस व 1.20 मी0 ऊँची ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
4. वर्तमान स्थिति में प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण, चिम्नी, भट्टा निरीक्षण के दौरान नही पाया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र/हलफनामा के अनुसार:–

1. वर्तमान मे प्रस्तावित इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट स्थल (खसरा संख्या–708) पर बिजली के तार स्थल के सामने नीचे की तरफ होना पाया गया है उपरोक्त के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा हलफनामा/शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त रिटेल आउटलेट का निर्माण होने के पश्चात व उपभोग के पूर्व स्थल से बिजली के तारो को दूर/ऊँचा करा लिया जायेगा। जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
2. वर्तमान में प्रस्तावित खसरा/गाटा 708 ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के आस–पास कोई भी स्कूल/अस्पताल/फर्निस व्यवसाय/कार्य होना नही पाया गया यदि भविष्य में खसरा/गाटा 708 ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बादा के आस–पास किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/फर्निस व्यवसाय/कार्य पाया जाता है जिससे रिहायशी/व्यवसायिक क्षेत्र के प्रति गंभीर प्रभाव होना प्रतीत होता है तो ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का स्थल परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी की होगी।

– प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था -:

1. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0-2148-1686 एवं आई0एस0-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिये अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुडे नही होने चाहिये एवं ऊँचाई 04 मी0 होनी चाहिये तथा उसके चारो ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिये।
3. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम-2002 एवं ओ0आई0एस0डी0-225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिये।
4. टैंक मे तेल भरते समय टैंक डिस्पेन्शर व लॉरी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
5. टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
6. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई स्टैण्ड पर 12 अदद रखी जाये।
7. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट के पास 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9की0 के रखे जाय तथा समस्त अग्निसुरक्षा यन्त्र कियाशील होने चाहिये एवं उनका रख-रखाव नियमानुसार किया जाये।

एस0एम0 त्रिपाठी / S.M. Tripathi
प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)
Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इला. मंडल कार्यालय
Allahabad Divisional Office
27/5/2020

8 अण्डरग्राउण्ड टैंक के पास आई0एस0 फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 9 ली0 एवं 75 किग्रा0 डी0सी0पी0 ट्राली 02 अदद एवं 50 ली0 क्षमता की फोम ट्राली, एवं सी0ओ0टू0 ट्राली 02 अदद क्षमता 22.5 कि0ग्रा0, 02 अदद फोम मेकिंग ब्रान्च होज पाइप के साथ होनी चाहिए।

9 इलेक्ट्रिक उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा रखे जाये।

10 डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क सी0ओ0टू0 फायर एक्टिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा रखे जाये और डी0जी0 सेट के एक्जास्ट पाइप की ऊँचाई नियमानुसार होना चाहिए जो टैंक के वेन्ट से उचित दूरी पर हो तथा इसमें डी0जी0एम0एस0 प्रमाणित स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए।

11 समरसेबुल पम्प को जनरेटर से जोडा जाये व पम्प पर टी लगाकर लैंडिंग वाल्व / हाइड्रेण्ट लगाये जाये जिससे अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक पानी प्राप्त कर सके।

12 लाइसेन्स एरिया में जनसेट सभस के पास सभी लाइटे फ्लेमप्रूफ होनी चाहिये।

13 प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिये।

14 इमरजेन्सी प्लान को ओ0आई0एस0डी0-225 के अनुसार होना चाहिये।

15 पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी0-225 के अनुसार होनी चाहिये।

16 पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिये।

17 जनपद के अग्निशमन केन्द्रों के टेलीफोन नम्बर / सी0यू0जी0 नम्बर बोर्ड पर अंकित होने चाहिये।

18 प्रवेश / निकास द्वारा प्रकाशित होने चाहिये जिससे रात्रि के समय वाहनों के आवागमन मे कोई असुविधा न हो।

19 रिटेल आउटलेट पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अग्निप्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा जिसकी ऊँचाई 06 फिट से कम नही होगी।

20 ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्न को बोर्ड पर अंकित करें:-

अ– तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर लें।
ब– धूम्रपान न करें।
स– मोबाइल स्विच ऑफ कर ले।

<u>निम्नांकित का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।</u>

क्या करें	क्या न करे
1 मोबाइल फोन बंद रखे। 2 तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखे। 3 सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेंसर के पास अग्निशमन यत्र रखे हुए हैं। 4 तेल रिसाव / आग की स्थिति मे डिस्पेंन्सर का इमरजेन्सी स्टॉप बटन दबायें।	1 वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे, जब तक वाहन के टैंक से नोजल अलग न हो जाये। 2 धूम्रपान न करें। 3 खुली आग का प्रयोग न करें। 4 लरी से टैंक में तैल भरते समय वाहनो मे तेल न भरें।

उपरोक्त ढाचागत सुरक्षा व्यवस्था एव प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं ओ0आई0एस0डी0 मे उल्लिखित नियमों को कडाई से पालन किया जाना आवश्यक है कि शर्त पर ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के खसरा/गाटा 708 पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित (रिटेल आउटलेट) का अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि रिटेल आउटलेट निर्माण के पश्चात एवं प्रयोग करने से पूर्व वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन कराकर अग्निशमन विभाग से पूर्णत: प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

27/5/20
(अनूप सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाँदा

एस0एम0 त्रिपाठी / S.M. Tripathi
प्रबंधक (खुदरा बिक्री)
Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि0प्र0)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय
Allahabad Divisional Office